न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –30/2026, जमानत आवेदन संख्या –70/2026

सी.आई.एस. नं. –67/2026

1. कमलेश मीना पुत्र श्री मुकेश मीना, उम्र 19 साल,
2. गौरव मीना उर्फ गोलू मीना पुत्र श्री भरतलाल मीना, उम्र 22 साल

निवासीयान औन्ड मीणा पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा।

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य

अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस

अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता पुलिस थाना जामडोली,जयपुर पूर्व

उपस्थिति :
1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल मिश्रा, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

: आदेश : दिनांक : 15.04.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस के अधीन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा दिनांक 07.04.2026 को अस्वीकार किया गया है। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के समस्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी योगेश ओबेराय ने पुलिस थाना जामडोली में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवायी कि दिनांक 13.01.2026 को शाम को मकान के बाहर मोटर साईकिल नं. RJ 02 WS 4490 हिरों होंडा रंग काला, जिसके चेचिस नं. MBLHA10CGH4A06479 तथा इंजन नं. HA10ERH406457 है, को खड़ा किया था तथा वह अपने गांव रामगढ़ जिला अलवर चला गया था दिनांक 16.01.2026 को वह गांव से आया तब उसने अपनी मोटरसाईकिल देखी तो वह वहां पर नहीं मिली, कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जामडोली जयपुर पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण से किसी भी प्रकार का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण के विरूद्ध मुकदमा भी ऐसा नहीं है जिसमें सजा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड हो। प्रार्थीगण का मफरूर होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अधोलिखित पते पर अपने परिवार सहित स्थाई रूप से निवास करते हैं और पढ़ाई लिखाई करते है। यदि इनको जमानत का लाभ नहीं दिया जाता है तो इनकी पढ़ाई का नुकसान होगा और इनका जीवन बर्बाद हो जायेगा। विचारण में काफी लम्बा समय समय लगने की संभावना है। प्रार्थीगण न्यायिक अभिरक्षा में तथा अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है। उनवानी प्रकरण में सहअभियुक्त मनीष कुमार की जमानत हो चुकी है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत मुचलको पर रिहा करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रकरण पर सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अनुसार प्रार्थी कमलेश मीणा के विरूद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी गौरव मीणा के विरूद्ध निम्न आपराधिक रिकॉर्ड हैः–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	थाना	नतीजा न्यायालय
1.	278/2024	303(2) बीएनएस	मालवीय नगर, जयपुर	–
2.	288/2024	281, 106(1) बीएनएस	सलेमपुर	

6. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आरोप पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 24.04.2026 को पेश हो चुका है। मुलजिमान लगभग 2 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा उक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मुलजिमान को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

7. फलतः अभियुक्त कमलेश मीना पुत्र श्री मुकेश मीना व गौरव मीना उर्फ गोलू मीना पुत्र श्री भरतलाल मीना की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000–25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें, तो उसे तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम।

8. आदेश आज **दिनांक 15.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम।